क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशे
		को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि प्रा.पत्र के चरण स② में उल्लेखित भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज नहीं है और न ही प्रार्थी ~~वाद~~ की वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार है। अतः प्रा. पत्र 212 RTA का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर लेकर हो। (हस्ताक्षर) 3/6 उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड ... (जयपुर)	